न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 119/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. नाथूलाल पिता किशन लाल विश्नोई उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. भवानीशंकर पिता किशन लाल विश्नोई उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल पिता चुन्नी लाल विश्नोई उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. गोपाल पिता भंवरलाल विश्नोई उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. लक्ष्मण पिता भंवरलाल विश्नोई उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

विपक्षीगण

वादपत्र बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 एवं धारा 151 जा0 दी0

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री हरदयाल वर्मा
2. श्री मांगीलाल सेन

निर्णय दिनांक– 27/3/2026

प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.05.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र क्रम संख्या 119/2018 पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक न्यायालय विविध 2025/42033 दिनांक 13.02.2025 की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा में प्रकरण संख्या 302/2025 पर दिनांक 02.07.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा दरीबा तहसील व जिला–भीलवाड़ा की सरहद में आराजी संख्या 1767 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा, आराजी संख्या 1757 रकबा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 757 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 728 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीघा स्थित है ।

प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजियात विपक्षी संख्या 1 भंवर लाल पिता चुन्नी लाल विश्नोई के खातेदारी अधिकार की थी जिनको दिनांक 28.6.1983 को बिल एवज 5000/– रूपये में विक्रय कर प्रार्थीगण को मुन्तकिल कर दी एवं विधिवत् पंजीयन करवा दी। इन आराजियात में आराजी संख्या 1767 की बजाय 1768 टाईप हो गया जबकि आराजी संख्या 1767 व 1768 एक ही आराजी है ।

उक्त आराजियात के संबंध में वादपत्र न्यायालय आप में विचाराधीन था तथा मुकदमा शहादत की स्टेज पर चल रहा था इसी दौरान प्रार्थीगण के खिलाफ उक्त आराजियात के संबंध में सिविल न्यायालय व फौजदारी न्यायालयों में प्रकरण विपक्षीगण ने दर्ज करवा दिए। जिनका विचारण चल रहा था, इस कारण प्रार्थीगण इन मुकदमे में पैरवीकर्ता अधिवक्ता के सम्पर्क में नहीं रहे, इस कारण से दिनांक 30.12.2008 को इस प्रकरण में हिदायत पैरवी नहीं होने से दावा खारिज कर दिया गया।

27/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अभी हाल ही में प्रार्थी ने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उक्त मुकदमें में नो–इन्स्ट्रक्शन की उनको जानकारी हुई, जानकारी होते ही प्रार्थीगण ने सिविल कोर्ट के मुकदमे तथा फौजदारी प्रकरण के मुकदमों में उक्त आराजियात से संबंधित प्रकरणों में विपक्षीगण के परास्त होने तथा प्रार्थीगण के फौजदारी प्रकरणों में बरी हो जाने की जानकारी, जिनके फैसलों की प्रतियां कमशः 54/2006 फौजदारी मुकदमें में प्रार्थीगण बरी हुए तथा मुकदमा नम्बर 09/09 सिविल न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 भीलवाड़ा में भी विपक्षी का वाद निरस्त हुआ। मुकदमा नम्बर 175/96 मु०दी० में भी प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज हुआ। मुकदमा नम्बर 34/2001 अपील जिला न्यायाधीश में भी अप्रार्थीगण की अपील खारिज हुई। इस तरह से प्रार्थीगण उक्त मुकदमे जो कि उक्त वाद से संबंधित थे जिनके निस्तारण में लगे रहे जिससे इस प्रकरण के अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके जो कि कारण माकूल है।

प्रकरण बहुमूल्य जायदाद से संबधित होने से अगर प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं होगा तो प्रार्थीगण को असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी रूप में संभव नहीं हो सकेगी ।

प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति का कारण युक्तियुक्त एवं सदभाविक एवं माकूल है तथा इस कारण प्रकरण में दिनांक 30.12.2008 को पारित खारिजगी के आदेश को अपास्त कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना न्यायोचित है ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण में दिनांक 30.12.2008 को पारित खारिजगी के आदेश को अपास्त कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर निस्तारित किया जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण के नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 02 लगायत 04 के बाद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से दिनांक 07.09.2022 को विपक्षी संख्या 02 लगायत 04 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी संख्या 01 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 20.03.2025 को विपक्षी संख्या 01 का जवाब बंद किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों पर विचार किया जाना आवश्यक है। आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी के प्रावधान निम्न हैः–

व्यक्तिक्रम के कारण वादी के विरूद्ध पारित डिकी नये वाद का वर्जन करती है–

1. जहां वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या भागतः खारिज कर दिया जाता है वहां वादी वाद हेतुक के लिए नया वाद लाने से प्रवारित हो जाएगा। किन्तु वह खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि जब वाद की सुनवाई के लिए पुकार पड़ी थी उस समय उसकी अनुपसंजाति के लिए पर्याप्त हेतुक था तो न्यायालय खर्चों या अन्य बातों के बारे में ऐसे निर्बन्धनों पर जो वह ठीक समझे, खारिजों को अपास्त करने का आदेश करेगा और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा।
2. इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना की तामील विरोधी पक्षकार पर न कर दी गई हो।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सिविल न्यायालय में अपराधिक प्रकरण संख्या 54/2006 तथा दीवानी वाद संख्या 9/2009 (188/1996) विचाराधीन रहा है। उक्त दीवानी वाद संख्या 9/2009 निर्णय दिनांक 03.09.2013 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख को सही मानते हुए अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया था।

27/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में प्रस्तुत वाद संख्या 256/2002 में प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन रहने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके। जिसके कारण प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 30.12.2008 को नो इन्स्ट्रक्शन अंकित करते हुए प्रस्तुत वाद को खारिज करा दिया गया था। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद संख्या 256/2002 कृषि आराजियात से संबंधित है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद को नम्बर पर लेने के आदेश पारित किये जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद संख्या 256/2002 में वर्तमान प्रार्थना पत्र के अधिवक्ता ही पैरवी कर रहे थे और उनके द्वारा ही तत्समय वाद में नो इन्स्ट्रक्शन अंकित करते हुए वाद को खारिज करवाया गया था। इसके अतिरिक्त न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 भीलवाड़ा में प्रस्तुत फौजदारी प्रकरण संख्या 54/2006 में प्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हरदयाल वर्मा ही नियुक्त थे, जिन्हे राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन वाद की पूर्णतया जानकारी थी। इस प्रकार राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा श्री हरदयाल वर्मा को अधिवक्ता नियुक्त किया गया था एवं प्रार्थीगण सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद/फौजदारी प्रकरणों में अपने अधिवक्ता के निरन्तर सम्पर्क में थे।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 9 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रार्थीगण अपने मूल वाद में प्रभावी पैरवी नहीं किये जाने एवं न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से खारिज होने पर अधिकतम परिसीमा अधिनियम 1963 के तृतीय खण्ड के क्रम संख्या 122 के प्रावधानों के अनुसार 30 दिवस में मूलवाद को रेस्टोर करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर सकते है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 9 वर्ष 7 माह की विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र विलम्बित अवधि से पेश किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मियाद अवधि से बाधित होने के कारण खारिज योग्य है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रिवीटल बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। अतः विलम्ब अवधि को क्षम्य करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा 9 वर्ष 7 माह के विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की ओर से विचाराधीन प्रार्थना पत्र में वही अधिवक्ता नियुक्त है जिनके द्वारा मूल वाद में नो इन्स्ट्रक्शन का अंकन करते हुए वाद को खारिज करवाया गया था। अतएव

—: आदेश :—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

27/5/26

(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा